रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269462
CG-DL-E-20012026-269462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
No. 50]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

फा. सं. रेग-11013/1/2026-विनियमन-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में और संशोधन के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 को अथवा **regulation@fssai.gov.in** पर ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का अनुज्ञापन और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता हैं।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 में, विनियम 2.1 में,-

(क) खाद्य सुरक्षा अनुपालन रिटर्न से सम्बंधित उप-विनियम 2.1.13 में, खंड 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) प्रत्येक वर्ष 31 मई के बाद रिटर्न दाखिल करने में किसी भी प्रकार की देरी होने पर दंड देय होगा तथा लगाया जाने वाला अधिकतम दंड निम्नानुसार होगा:

i. 90 दिनों तक: वार्षिक शुल्क का 2 गुना;

ii. 91 से 180 दिनों तक: वार्षिक शुल्क का 5 गुना।

(4) 181वें दिन तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन रिटर्न प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में लाइसेंस निलंबित माना जाएगा। निलंबन हटाए जाने से पूर्व देय दंड का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। निलंबन की अवधि के दौरान खाद्य व्यवसाय संचालक किसी भी प्रकार की खाद्य व्यवसाय गतिविधि में संलग्न नहीं होगा। निलंबन अवधि के दौरान की गई कोई भी खाद्य व्यवसाय गतिविधि अननुपालक मानी जाएगी और उस पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दंड सहित आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

(ख) अनुसूची 2 में, "लाइसेंस की शर्तें" से संबंधित उपाबंध 2 में, क्रम संख्या 14 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"14. उत्पादन तथा कच्चे माल के उपयोग का दैनिक अभिलेख पृथक रूप से बनाए रखें।

परंतु यह शर्त गैर-निर्माण खाद्य व्यवसायों पर लागू नहीं होगी।"

(ग) अनुसूची 4 में, "लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाले सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा पालन की जाने वाली स्वच्छ एवं सैनिटरी प्रथाओं संबंधी सामान्य आवश्यकताएँ" से संबंधित भाग 2 में, खंड 5.2.5 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"5.2.5 कच्चे माल, अवयवों, प्रगति में कार्य (वर्क-इन-प्रोग्रेस) तथा प्रसंस्कृत/पकाए गए या पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के भंडारण में **FIFO** (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) तथा **FEFO** (फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट) सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। परंतु यह प्रावधान खुदरा विक्रेताओं पर लागू नहीं होगा।"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./628/2025-26]

नोट :- मुख्य विनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **III**, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. **2-15015/30/2010,** दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए एवं आखिरी बार दिनांक 13 जुलाई, 2016 की अधिसूचना फा. स. **2-15015/30/2012,** द्वारा संशोधित किए गए थे

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

F. No. REG-11013/1/2026-Regulation-FSSAI.— The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

Objections and suggestions, which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Amendment Regulations, 2026.
2. In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011, in regulation 2.1,

(a) in sub regulation 2.1.13 related to Food Safety Compliance Return, for the clause 3 and 4 the following shall be substituted, namely,-

"(3) Any delay in filing return beyond 31st May of each year shall attract a penalty and the maximum penalty that can be levied shall be as follows:

i. Upto 90 days: 2 times the annual fees;

ii. 91 to 180 days: 5 times the annual fees;

(4) In case of non-submission of Food Safety Compliance return on 181st day, license shall be deemed suspended. The penalty due shall be payable before the suspension is revoked. During such suspension Food Business Operator shall not involve in any food business activity. Any food business activity carried out during the suspension period shall be deemed non-compliant and shall attract subsequent action including penalty under the FSS Act, 2006."

(b) in schedule 2, Annexure 2 related to Conditions of License, for S. No. 14, the following shall be substituted, namely,-

"14. Maintain daily records of production, raw materials utilization separately.

Provided this condition shall not be applicable to non-manufacturing food businesses."

(c) in schedule 4, part II, related to General Requirements on Hygienic and Sanitary Practices to be followed by all Food Business Operators applying for License, for clause 5.2.5, the following shall be substituted, namely,-

"5.2.5 The storage of raw materials, ingredients, work-in-progress and processed /cooked or packaged food products shall be subjected to FIFO (First in First out), FEFO (First Expire First Out). Provided that the same shall not be applicable to retailers."

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./628/2025-26]

Note:- The principal Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended vide notification F. No. 2-15015/30/2012, dated 13th July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA